(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2404-तीन/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 25-11-2006 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 316/2005-06 अपील

बालेन्द्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह
ग्राम कोटर तहसील रामपुर वाघोलान जिला सतना ——आवेदक

विरूद्ध

1- सुअजनिया पत्नि स्व.मथुरा सिंह
2- चकधर सिंह पुत्र स्व.मथुरा सिंह
3- नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व. मथुरा सिंह
निवासी ग्राम कोटर तहसील
रामपुर वाघोलान जिला सतना
4- आशा पुत्री स्व. मथुरा ग्राम कोटर
हाल निवासी पिछोरा वाद तहसील नागौद जिला सतना
5- जयपाल सिंह पुत्र राममिलन सिंह ग्राम कोटर
तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 10-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 316/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-11-06 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कोचर स्थित आराजी कमांक 165/1 रकबा 0.86 छि. तथा 166/3 रकबा 0.52 डि. कुल किता 2 कुल रकबा 1.38 एकड़ के भूमिस्वामी जयपाल सिंह ने पॅजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21-1-03 से

मथुरा सिंह को विक्रय कर दी। विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम की नामांत्रण पॅजी के सरल कमांक 16 पर आदेश दिनांक 21-3-2003 से नायव तहसीलदार वृत्त कोटर ने केता का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघोलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने प्रकरण कमांक 41/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-12-2004 से अपील स्वीकार कर नामान्तरण आदेश दिनांक 21-3-2003 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 316/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-11-06 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघोलान के प्रकरण कमांक 41/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-12-2004 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि ग्राम कोचर स्थित आराजी कमांक 165/1 रकबा 0.86 छि. तथा 166/3 रकबा 0.52 डि. कुल किता 2 कुल रकबा 1.38 एकड़ के भूमिस्वामी जयपाल सिंह थे जिन्होंने इस भूमि को पॅजीकृत विकय पत्र दिनांक 21-1-03 से मथुरा सिंह को विकय की है एंव विकय पत्र के आधार पर नायव तहसीलदार वृत्त कोटर ने ग्राम की नामांत्रण पॅजी के सरल कमांक 16 पर आदेश दिनांक 21-3-2003 से केता का नामान्तरण स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने नायव तहसीलदार के नामान्तरण आदेश को इस आधार पर निरस्त किया है, आदेश का पैरा -4 इस प्रकार है :-

" यद्यपि रेस्पाण्डेन्ट कमांक 1 के द्वारा विकय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। फिर भी पटवारी हलका द्वारा नामानतरण पंजी के कमांक 6 में उल्लखित व्यौरे एंव अपील के साथ संलग्न नकल खसरा के कालम नंबर 12 में उल्लेखित टीप को देखा जाय तो पूर्णरूपेण यह स्पष्ट है कि शासन के मुद्रांक शुल्क की हानि हुई है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। "

इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 25-11-06 में विवेचित किया है कि हर जिले में उप पंजीयक व जिला पंजीयक स्तर के अधिकारी होते हैं और उनका यह दायित्व होता है कि किसी भी दस्तावेज में स्टाम्प शुल्क का निर्धारण करें। अपीलार्थिया के पति के द्वारा क्रय किये गये दस्तावेज का विधिवत पंजीयन किया गया है। यदि शुल्क कम अदा की जाती तो दस्तावेज का पंजीयन ही नहीं होता। तहसीलदार/ अनुविभागीय अधिकारी को स्टाम्प शुल्क निर्धारण का कोई अधिकार नहीं है। रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर तहसीलदार नामान्तरण किये जाने हेतु वाध्य है जैसा कि 2004 राजस्व निर्णय 325 में दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है। यदि अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के आदेश दिनांक 30-12-04 में निकाले गये निष्कर्षो की तुलना अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 25-11-06 में निकाले गये निष्कर्षो से की जाय ? अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 25-11-2006 में निकाले गये निष्कर्ष विधिवत् है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 316/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-11-06 में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 316/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-11-06 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर